फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री फुला मीणा
विपक्षी : श्रीमती भगली मीणा
किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम
पत्रावली संख्या : 13 / 24

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 14.05.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी संख्या 2, 3 द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहा। अतः विपक्षी संख्या 2, 3 के जवाब का अवसर बन्द किया जाता है। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात संयुक्त हिन्दु परिवार की पतृक भूमि का कथन कहा गया हैं। जिसमें मुल पुरूष देला के निधन के बाद विरासत से उक्त भूमि उनके पुत्र माना, दामा, नवला में बराबर हिस्से से निहित हुई और माना एवं उसकी पत्नी लालकी बाई का निधन हो गया है। माना के एक पुत्री भगली बाई है जो विपक्षी संख्या 1 है। इसी तरह दामा अविवाहीत था और वह प्रार्थी फुला के साथ ही रहता था और दामा जी ने अपने जीवनकाल में प्रार्थी की सेवा चाकरी से खुश होकर उनकी कुलीया चल व अचल सम्पति का एक वसीयत नामा लिखवा अपनी अंगुष्ठ निशानी कर दी जिससे उक्त वसीयत पत्र के आधार पर दामा जी के हक हिस्से की भूमि का प्रार्थी फुला मालिक एवं उस पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहा है। भगली बाई अपने ससुराल में आवद होकर निवासरत है। मृतक माना एवं लालकी बाई का हमारी सामाजिक रूढी रीति रिवाज के अनुसार क्रियाकर्म एवं पिण्डदान आदि प्रार्थी फुला ने ही किया जिससे मृतक माना एवं लालकी बाई की भूमि में विपक्षी संख्य 1 भगली का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थनाग्रस्त आराजी को पतृक सम्पति होने का कथन कहा है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में अनुचित दखलअन्दाजी करने व हस्तान्तरीत करने पर आमादा होने से मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मूल वाद में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:30:55 IST
Reason: SelfAttested

मामला, स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रकरण में विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति होने से प्रार्थी का हक हिस्सा निहित है अन्य बिन्दु मूल जो प्रार्थी द्वारा बतें गये है वो मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किये जायेगें। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाते हैं। प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है जिससे किसी प्रकार के मौका एवं रकार्ड के परिवर्तन से बचा जा सके। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा पचानपुरा ए पटवार क्षेत्र धावडीया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2078–81 की परिशिष्ट (क) खाता संख्या नया 49 की आराजी 1329, 1331 से 1336, 1342, 1394, 1395 किता 10 रकबा 1.9600 है, परिशिष्ट (ख) खाता संख्या नया 50 की आराजी 1397 किता 1 रकबा 1.7200 है., इसी तरह मौजा रणिया पटवार हल्का धावडिया तहसील भीण्डर की परिशिष्ट (अ) की खाता संख्या नया 157 की आराजी 751, 752, 753, 755, 756, 758 किता 6 रकबा 0.3900 है., परिशिष्ट (ब) खाता संख्या नया 158 की आराजी 1300, 1306, 1307, 1309, 1310 किता 5 रकबा 0.7300 है., परिशिष्ट (स) खाता संख्या नया 159 की आराजी 1301 से 1305, 1311 से 1314 किता 9 रकबा 0.7100 है., परिशिष्ट (द) खाता संख्या नया 160 की आराजी 754 किता 1 रकबा 0.0500 हैक्टयर भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें [illegible] फैसल मुगार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:33:55 IST
Reason: SelfAttested